दिनांक 29.04.2026
प्रेस विज्ञप्ति 233/2026

मुख्यालय पुलिस महानिदेशक, उत्तर प्रदेश।

पुलिस प्रशिक्षण निदेशालय, उत्तर प्रदेश द्वारा पशु संरक्षण विषय पर एक दिवसीय कार्यशाला का सफल आयोजन

- **पशु संरक्षण कानूनों की व्यावहारिक समझ प्राप्त करने हेतु प्रदेश के 44 अधिकारियों ने प्रतिभाग किया।**
- **पशु संरक्षण विषय पर एक दिवसीय कार्यशाला का सफल आयोजन।**
- **विशेषज्ञों द्वारा विधिक प्रावधानों एवं व्यावहारिक पहलुओं पर विस्तृत मार्गदर्शन।**
- **संवेदनशीलता एवं प्रभावी क्रियान्वयन को सुदृढ़ करने की पहल।**

श्री राजीव कृष्ण पुलिस महानिदेशक, उ०प्र० के निर्देशन में पुलिस प्रशिक्षण निदेशालय, उत्तर प्रदेश द्वारा आज दिनांक 29.04.2026 को “Animal Protection” विषय पर एक दिवसीय कार्यशाला का सफल आयोजन किया गया। कार्यशाला का उद्घाटन **श्री राजीव सभरवाल** पुलिस महानिदेशक द्वारा (प्रशिक्षण)किया गया, जिनके द्वारा पशु संरक्षण के महत्व, विधिक प्रावधानों के प्रभावी क्रियान्वयन एवं पुलिस की संवेदनशील भूमिका पर विशेष बल दिया गया।

कार्यशाला में **श्री बी.डी. पाल्सन** अपर पुलिस महानिदेशक प्रशिक्षण सहित प्रदेश के विभिन्न जनपदों से आए 44 राजपत्रित अधिकारियों एवं संयुक्त निदेशक अभियोजनवरिष्ठ / अभियोजन अधिकारियों ने प्रतिभाग किया।

कार्यशाला के दौरान विशेषज्ञों द्वारा Prevention of Cruelty to Animals Act, 1960, भारतीय न्याय संहिता, 2023, UP Prevention of Cow Slaughter Act, 1955 एवं Wildlife Protection Act, 1972 सहित पशु परिवहन, व्यापार एवं स्लॉटर हाउस से संबंधित विधिक पहलुओं पर विस्तृत जानकारी दी गई।

मुख्य बिंदु:

- विषय विशेषज्ञों द्वारा कानूनों के प्रभावी क्रियान्वयन एवं केस विवेचना पर मार्गदर्शन प्रदान किया गया।
- कार्यशाला का उद्देश्य पुलिस एवं अभियोजन अधिकारियों में संवेदनशीलता एवं जागरूकता को सुदृढ़ करना रहा।

यह कार्यशाला प्रदेश में पशु संरक्षण संबंधी कानूनों के प्रभावी अनुपालन एवं मानवीय दृष्टिकोण को बढ़ावा देने की दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल है।

दिनांक 29.04.2026	
प्रेस विज्ञप्ति 234/2026	

मुख्यालय पुलिस महानिदेशक, उत्तर प्रदेश।

जनपद बुलन्दशहर/थाना खुर्जा नगर

- **पुलिस कार्यवाही में 50–50 हजार रूपये के 02 पुरस्कार घोषित अभियुक्त गिरफ्तार**
- **02 अवैध शस्त्र विभिन्न बोर मय जीवित/खोखा कारतूस**
- **01 डीबीआर बरामद**

दिनांक 28/29.04.2026 की रात्रि थाना खुर्जा नगर व स्वाट की संयुक्त पुलिस टीम द्वारा सूचना के आधार पर मुंडा खेड़ा नहर के पास पुलिस कार्यवाही में पुरस्कार घोषित 02 अभियुक्त 1–रिंकू उर्फ रिंकेश 2–भारत घायल हो गये, जिन्हें गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्तों के कब्जे/निशादेही से 02 अवैध शस्त्र विभिन्न बोर मय जीवित/खोखा कारतूस, 01 डीबीआर बरामद हुये। घायलों को उपचार हेतु अस्पताल भेजा गया।

उल्लेखनीय है कि गिरफ्तार अभियुक्त थाना खुर्जा नगर पर पंजीकृत हत्या के अभियोग में वांछित चल रहे थे, जिनकी गिरफ्तारी हेतु रेंज स्तर से 50–50 हजार रूपये का पुरस्कार घोषित था।

इस सम्बन्ध में थाना खुर्जा नगर पर अभियोग पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त

1–रिंकू उर्फ रिंकेश निवासी सुभाष रोड थाना खुर्जा नगर जनपद बुलन्दशहर।

2–भारत निवासी सुभाष रोड थाना खुर्जा नगर जनपद बुलन्दशहर।

बरामदगी

1–02 अवैध शस्त्र विभिन्न बोर मय जीवित/खोखा कारतूस ।

2–01 डीबीआर।

जनपद अम्बेडकरनगर/थाना हँसवर

- **10 हजार रूपये का पुरस्कार घोषित अभियुक्त गिरफ्तार**

दिनांक 29.04.2026 को थाना हँसवर पुलिस टीम द्वारा सूचना के आधार पर सिंहपुर पुलिया के पास से पुरस्कार घोषित अभियुक्त रोशन लाल को गिरफ्तार किया गया।

उल्लेखनीय है कि गिरफ्तार अभियुक्त शातिर किस्म का अपराधी है, जो थाना हँसवर पर पंजीकृत अभियोग में वांछित चल रहा था, जिसकी गिरफ्तारी हेतु जनपद स्तर से 10 हजार रूपये का पुरस्कार घोषित था।

इस सम्बन्ध में थाना हँसवर पुलिस द्वारा विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त

1–रोशन लाल निवासी शिवपाल थाना जैतपुर जनपद अम्बेडकरनगर।

- **जनपद कानपुर देहात/थाना डेरापुर (प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0 न्यायालय द्वारा अभियुक्त को सश्रम आजीवन कारावास की सजा व 10 हजार रूपये अर्थदण्ड)**

जनपद कानपुर देहात पुलिस द्वारा प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0 न्यायालय जनपद कानपुर देहात द्वारा थाना डेरापुर पर पंजीकृत अभियोग में धारा 302 भादवि के अन्तर्गत अभियुक्त ऋषभ उर्फ शीलू को सश्रम आजीवन कारावास व 10 हजार रूपये अर्थदण्ड की सजा सुनाई गयी।

- **जनपद फिरोजाबाद/थाना जसराना (प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0 न्यायालय द्वारा अभियुक्त को 10 वर्ष के कारावास की सजा व 20 हजार रूपये अर्थदण्ड)**

जनपद फिरोजाबाद पुलिस द्वारा प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0 न्यायालय जनपद फिरोजाबाद द्वारा थाना जसराना पर पंजीकृत अभियोग में धारा 307/34 भादवि के अन्तर्गत अभियुक्त मानपाल को 10 वर्ष के कारावास व 20 हजार रूपये अर्थदण्ड की सजा सुनाई गयी।

———————